न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।
फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–126/2022

सम्बन्धित एफ0आई0आर0 नं0–371/2022
अन्तर्गत धारा–395, 412, 120बी, 34 भा0द0सं0
थाना डोईवाला, जिला देहरादून।

आदेश

दिनांक–09–11–2022

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/विवेचक निरीक्षक राजेश साह, थाना डोईवाला की ओर से मु0अ0सं0 371/2022, धारा 395, 412, 120बी, 34 भा0द0सं0 बनाम महबूब आदि, थाना डोईवाला से सम्बन्धित शेष अभियुक्तों के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने बावत दिया गया है।

2. प्रार्थी/विवेचक निरीक्षक राजेश साह का कथन है कि कोतवाली डोईवाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 371/22, धारा 395/412/120बी/34 भादवि बनाम महबूब आदि की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना में वांछित अभि0गण 1–मेहरबान उर्फ बावला पुत्र फय्याज, नि0 खालापार दरोगा की कोठी, थाना कोतवाली नगर मु0नगर उ0प्र0 2–नफीस उर्फ सपाटा पुत्र अब्दुल अजीज नि0 मौ0 इस्लामाबाद, थाना सरधना मेरठ, उ0प्र0 3–सफीक उर्फ सादा पुत्र नूर हसन नि0 सरवट हाजीपुरा, थाना सिविल लाईन मु0नगर, उ0प्र0 4–परवेज उर्फ फिरोज उर्फ बाबा पुत्र आलमगीर नि0 समर गार्डन, थाना लिसाड़ी गेट मेरठ उ0प्र0, हाल निवासी जी–486 गली नं0 11, खड्डी कालोनी जैतपुर पाट–2, थाना कालिन्दी कुंज, दिल्ली की गिरफ्तारी शेष है। उक्त वांछित अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बाद भी अभि0गण दस्तयाब नहीं हो पाये हैं। अभि0गण लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये घ ार छोड़कर भागे हुये हैं। न्यायहित में अभि0गणों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट की आदेशिकाएं जारी किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. इसके साथ ही विवेचक द्वारा केस प्रपत्र व नकल रपट वास्ते दबिश सम्बन्धित, रपट नं0 58 समय 21:15 दिनांकित 31.10.2022, रपट नं0 29 समय 12:35 दिनांकित 02.11.2022, जी0डी0 आमद व रवानगी उत्तराखण्ड पुलिस नं0 43 समय 13:52 दिनांकित 02.11.2022, जी0डी0 नं0 21 समय 08:42 दिनांकित 06.11.2022 प्रस्तुत की गयी हैं।

4. इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा आख्या दी गयी है कि, ***''महोदया विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 371/22 अं0धा0 395, 412, 120बी/34 आईपीसी में शेष वांछित अभि0गण मेहरबान उर्फ बावला, नफीस उर्फ सपाटा, सफीक उर्फ सादा व परवेज उर्फ फिरोज की गिरफ्तारी हेतु गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने हेतु प्रार्थना की गयी है, जिसे अग्रसारित किया जाता है।''***

5. इस सम्बन्ध में विवेचक/प्रभारी निरीक्षक द्वारा आख्या दी गयी है कि, **''अभि0गण द्वारा किसी भी मा0 न्या0 से उक्त सम्बंध में कोई गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया है, न ही कहीं आवेदन किया है।''**

6. मेरे द्वारा केस प्रपत्रों तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी/विवेचक निरीक्षक राजेश साह द्वारा कथन किया गया है कि, ***''कोतवाली डोईवाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 371/22, धारा 395/412/120बी/34 भादवि बनाम महबूब आदि की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना में वांछित अभि0गण 1–मेहरबान उर्फ बावला पुत्र फय्याज, नि0 खालापार दरोगा की कोठी, थाना कोतवाली नगर मु0नगर उ0प्र0 2–नफीस उर्फ सपाटा पुत्र अब्दुल अजीज नि0 मौ0 इस्लामाबाद, थाना सरधना मेरठ, उ0प्र0 3–सफीक उर्फ सादा पुत्र नूर हसन नि0 सरवट हाजीपुरा, थाना सिविल लाईन मु0नगर, उ0प्र0 4–परवेज उर्फ फिरोज उर्फ बाबा पुत्र आलमगीर नि0 समर गार्डन, थाना लिसाड़ी गेट मेरठ उ0प्र0, हाल निवासी जी–486 गली नं0 11, खड्डी कालोनी जैतपुर पाट–2, थाना कालिन्दी कुंज, दिल्ली की गिरफ्तारी शेष है। उक्त वांछित अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बाद भी अभि0गण दस्तयाब नहीं हो पाये हैं। अभि0गण लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये घर छोड़कर भागे हुये हैं। न्यायहित में अभि0गणों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है।''*** तथा अभियोजन कथनानुसार, ***''विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 371/22 अं0धा0 395, 412, 120बी/34 आईपीसी में शेष वांछित अभि0गण मेहरबान उर्फ बावला, नफीस उर्फ सपाटा, सफीक उर्फ सादा व परवेज उर्फ फिरोज की गिरफ्तारी हेतु गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने हेतु प्रार्थना की गयी है।''*** इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा केस प्रपत्र व नकल रपट वास्ते दबिश सम्बन्धित, रपट नं0 58 समय 21:15 दिनांकित 31.10.2022, रपट नं0 29 समय 12:35 दिनांकित 02.11.2022, जी0डी0 आमद व रवानगी उत्तराखण्ड पुलिस नं0 43 समय 13:52 दिनांकित 02.11.2022, जी0डी0 नं0 21 समय 08:42 दिनांकित 06.11.2022 प्रस्तुत की गयी हैं। **इसके साथ ही विवेचक के अनुसार, अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अभी तक किसी भी न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया गया है, न ही कहीं आवेदन किया है।** उपरोक्तानुसार, चूंकि अभियुक्त उपरोक्त अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में मेहरबान उर्फ बावला, नफीस उर्फ सपाटा, सफीक उर्फ सादा व परवेज उर्फ फिरोज उर्फ बाबा के विरूद्ध नियमानुसार गैर जमानतीय अधिपत्र की आदेशिका जारी की जाती है।

8. आदेश की एक प्रति विवेचक को दी जाये। प्रार्थना पत्र मय प्रपत्रों की प्रति, एक पावती बनाकर, कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखी जाये।

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।